रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 153] नई दिल्ली, सोमवार, जून 7, 2010/ज्येष्ठ 17, 1932
No. 153] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 7, 2010/JYAISTHA 17, 1932

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2010

फा. सं. एल-7/142/157/2008-केंविविआ.—केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सभी अन्य सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का संदाय) विनियम, 2008 (जिसे इसे इसमें इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है) का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2010 है ।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. विनियम 4 का संशोधन.—मूल विनियम के विनियम 4 के खंड (3) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(3) ऐसा विद्युत व्यापारी, जिसे विद्युत में अंतर-राज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, नीचे विनिर्दिष्ट दरों पर फीस का संदाय करेगा :

क्रम सं.	अनुज्ञप्ति का प्रवर्ग	फीस प्रतिवर्ष (रुपए लाख में)
1	प्रवर्ग-1	30.00
2	प्रवर्ग-2	12.50
3	प्रवर्ग-3	5.00
4	प्रवर्ग-4	2.50

टिप्पण : समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने की और अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2004 के प्रवर्ग 'च' की तस्थानी प्रवर्ग 1 (यदि व्यापार 1500 एमयू से अधिक है), प्रवर्ग 'घ', 'ङ' तथा 'च' की तस्थानी प्रवर्ग 2 (यदि व्यापार 1500 एमयू तक है) प्रवर्ग 'ख' तथा 'ग' की तत्स्थानी प्रवर्ग 3 तथा प्रवर्ग 'क' की तस्थानी प्रवर्ग 4 ।

आलोक कुमार, सचिव

[विज्ञापन III/4/150/10-असा.]

टिप्पण : मूल विनियम, भारत के राजपत्र (असाधारण), संख्या 174, भाग III, खंड 4 में तारीख 17-10-2008 को प्रकाशित किए गए थे तथा संशोधन विनियम भारत के राजपत्र (असाधारण), संख्या 128, भाग III, खंड 4 में तारीख 24-2-2009 को प्रकाशित किए गए थे ।